न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 38/2013 निर्णय दिनांक :–15.04.2021

उनवानी दावा :

1. शंकर पुत्र देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक
2. महावीर पुत्र देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक
3. काना पुत्र देवा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता नन्दू देवी
4. नन्दू देवी बेवा देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा व दादी ससूर गोरू पुत्र सरिया उर्फ श्रीया को साबिक खसरा नम्बर 1049 में 4 बीघा 10 बीस्वा जमीन ग्राम डाबरकला में वर्ष 1965 में आवंटित की गई थी और आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटित की गई थी और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सम्भलाया गया था आवंटन के पश्चात उक्त जमीन पर गोरू पुत्र सरिया का कब्जा रहा और उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण कब्जा काश्त है। गोरिया उर्फ गोरू पुत्र सरिया को उक्त जमीन अलॉट हुई थी और अलॉटमेन्ट के पश्चात जब तक वो जिन्दा रहा जब तक उसका कब्जा रहा उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र देवा का कब्जा रहा और देवा की मृत्यु के बाद वादीगण का विवादित आराजीयात पर ही कब्जा है मृतक देवा के वादीगण जायज कायम मुकामान है वादीगण के अलावा मृतक देवा व गोरू उर्फ गारिया के अन्य कोई जाईन्दा वारिस नही है उक्त जमीन पर वादीगण व उनके पूर्वजो का वर्ष 1965 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। हाल ही मे देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताऐ की गई है सेटलमेन्ट मे खातेदारी की जमीन को सिवायचक कर दिया गया है तथा अलॉटमेन्ट की

जमीन का राजस्व रिकार्ड इन्द्राज नही किया गया है। सेटलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बर 1049 के हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.45 व खसरा नम्बर 393 रकबा 0.53 है0 बनाकर उक्त जमीन को सिवायचक दर्ज कर दिया है जब कि उक्त जमीन मे से खसरा नम्बर 393 रकबा 0.53 है0 पर वादीगण का कब्जा है और मौके पर काश्त कर रहे है। उक्त जमीन वादीगण की खातेदारी मे नही लगने के कारण यह वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज श्रीमान की सेवा मे पेश है। वेसे भी वादीगण विपरित कब्जे के आधार पर उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके है। प्रतिवादीगण वादीगण को उपरोक्त नम्बर से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण उनकी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वादीगण को उक्त खसरा नम्बर 393 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम डाबरकला से बेदखल नही करे और उक्त जमीन अन्य किसी को अलॉट नही करे। वेसे भी उक्त जमीन बीसलपुर बांध के 315.50 भराव क्षमता से बाहर है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–पेरा नं. 1 मुताबिक आवंटन आदेश स्वीकार है। पेरा नं. 2 सिद्ध करने का भार वादी पर है। पेरा नं. 3 मुताबिक पी 14 के स्वीकार है। पेरा नं. 4 अस्वीकार है। उक्त आवंटन अस्थाई आवंटन है। भूमि सिवायचक होने से बेदखली की कार्यवाही की जाती है। पेरा नं. 6 कानूनी है। पेरा नं. 7 अस्वीकार है। पेरा नं. 8, 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। यह है कि उक्त आवंटन दिनांक 13.5.65 का है। जो अस्थाई आवंटन है। जिस पर खातेदारी देय नही है।

पत्रावली में तनकियात कायम कर सुनाई गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2059–62, प्रदर्श–2 से 9 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण, प्रदर्श–10 आवंटन आदेश फार्म, प्रदर्श–11 व 12 अनाधिकृत कृषि भूमि के आवंटन आज्ञा प्रपत्र प्रदर्श–13 खसरा परिवर्तित निर्धारण संम्वत 2066, प्रदर्श–14 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–15 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–16 जमाबन्दी संम्वत 2067–70, प्रदर्श–17 से 20 खसरा परिवर्तित निर्धारण, प्रदर्श–21 डूब से बाहर का प्रमाण पत्र पेश किये है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 महावीर पुत्र देवा जाति चमार निवासी डाबरकला, पी. डब्ल्यू–2 रामदेव पुत्र बीरमा जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी डाबरकला के पेश किये है।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व 2 से जिरह की गई जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के पूर्वज गोरू पुत्र सरिया को 1965 में साबिक ख. नं. 1049 में 4 बीघा 1 भूमि

विधिवत आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा संभलाया गया जब से ही वादीगण का दादा उक्त आराजी पर काश्त करता रहा और सरिया की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवा काश्त करता रहा और देवा की मृत्यु के बाद वादीगण काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट ने वादीगण की आराजी को बिना किसी विधिक अधिकार के हाल ख. नं. 390 रकबा 0.45 व 393 रकबा 0.53 है0 बनाकर उक्त जमीन को सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि जिसका भू–प्रबन्ध कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था। अधिवक्ता वादी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी आधार के पुरानी प्रविष्टियो को परिवर्तन करने का अधिकारी नही है। भू–प्रबंध के दौरान पुरानी प्रविष्टियों को ही दोहराया जाता है। उक्त आराजी भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इस बाबत वादी ने जो दस्तावेज व साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये है उनसे यह साबित हो जाता है कि उक्त विवादित आराजी भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के पूर्वज सरिया की आवंटित भूमि है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि सरिया को अस्थायी आवंटन हुआ था जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी भी दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज योग्य है।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी नं.1:– आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 393 रकबा 0.53 है0 वाके डाबरकला तहसील देवली की खातेदारी घोषित करवाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने के हकदार है?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श–10 काश्त करने के लिए नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र, जिसके पृष्ठ भाग में दिनांक 13.05.65 को ख. नं. 1049 रकबा 4 बीघा 10 बिसवा भूमि का अस्थायी आवंटन प्रदर्शित है। प्रदर्श–11 अनाधिकृत कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा में आवंटित प्लाट की खसरा संख्या 1049 रकबा 4 बीघा 10 बिसवा में तहसीलदार देवली के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त प्रदर्शित दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज सरिया को अस्थायी आवंटन हुआ था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी का अंकन नहीं हुआ जिसके कारण भू–प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर नये हाल ख. नं बना दिये। यद्यपि वादीगण ने कब्जेसम्बन्धी दस्तावेज पेश किये है परन्तु खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवंटन के बाद वादीगण के पूर्वज सरिया के नाम गैरखातेदारी/खातेदारी सम्बन्धी दस्तावेज वादी द्वारा पेश नहीं करने के कारण तनकी नं. 1 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं.1:– आया आवंटन अस्थायी होने से वादी को वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी देय नहीं है?

16.12.24

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। पेरोकार सरकार ने वाद पर उपलब्ध दस्तावेजो व तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आराजी ख. नं. 393 रकबा 0.53 है0 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 05.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा :

1. शंकर पुत्र देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक
2. महावीर पुत्र देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक
3. काना पुत्र देवा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता नन्दू देवी
4. नन्दू देवी बेवा देवा जाति चमार निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक

– प्रतिवादीगण –

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 38 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

आराजी ख. नं. 393 रकबा 0.53 है0 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 04 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक).....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील		

मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)